राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

संख्या- 748/रा0नि0आ0अनु0-2/780/2007 देहरादूनः दिनांकः 26 जुलाई, 2008

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 633/XII/08/86(04)/2008 T.C.-I दिनांक 25 जुलाई, 2008 के क्रम में मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12(बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त **क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों** के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:-

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चक्र	05 अगस्त, 2008 से 08 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न 0800 बजे से अपराह्न 1600 बजे तक)	09 अगस्त, 2008 से 12 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न 0800 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न 0800 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक)	14 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न 0800 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	01 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न 0700 से अपराह्न 1700 बजे तक)	13 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न 0800 से कार्य की समाप्ति तक)
द्वितीय चक्र	--तदैव--	--तदैव--	--तदैव--	18 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न 0800 से कार्य की समाप्ति तक)	05 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न 0700 से अपराह्न 1700 बजे तक)	--तदैव--
तृतीय चक्र	--तदैव--	--तदैव--	--तदैव--	22 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न 0800 से कार्य की समाप्ति तक)	10 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न 0700 से अपराह्न 1700 बजे तक)	--तदैव--

क्रमशः.......2

2.निर्वाचन तीन चक्रों में होंगे। चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण **परिशिष्ट-क** संलग्न है।

3. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधान, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 28.07.2008** को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।

5. प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों के, नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से कार्यालय समय में तथा दिनांक 05.08.2008 से 08.08.2008 की अवधि में पूर्वाह्न 0800 बजे से अपराह्न 1300 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा।

संलग्नक-परिशिष्ट-क

ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-748(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/780/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रमशः........3

5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहादून।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
14. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
19. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
20. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
21. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
22. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25(पच्चीस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
23. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
24. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
25. गार्ड फाईल अनुभाग-2।

ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

अधिसूचना संख्या–748/रा.नि.आ.अनु–2/780/2007 दिनांक 26 जुलाई, 2008 का संलग्नक

परिशिष्ट–क

चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्रथम चक्र के विकास खण्ड	द्वितीय चक्र के विकास खण्ड	तृतीय चक्र के विकास खण्ड
1.	उत्तरकाशी	मोरी, पुरोला	नौगांव,चिन्यालीसौड़	भटवाड़ी,डुण्डा
2.	टिहरी गढ़वाल	भिलंगना, जाखणीधार, चम्बा	कीर्तिनगर, जौनपुर, देवप्रयाग	प्रतापनगर, नरेन्द्रनगर, थौलधार
3.	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	जखोली	अगस्तमुनि
4.	चमोली	देवाल, थराली, नारायणबगड़,	गैरसैंण, कर्णप्रयाग, पोखरी	घाट, दशोली, जोशीमठ
5.	पिथौरागढ़	धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट	गंगोलीहाट, बेरीनाग	कनालीछीना, मूनाकोट, पिथौरागढ़
6.	ऊधमसिंहनगर	खटीमा, सितारगंज	जसपुर, काशीपुर, बाजपुर	रूद्रपुर, गदरपुर
7.	बागेश्वर	कपकोट	गरूड़	बागेश्वर
8.	चम्पावत	पाटी	लोहाघाट, बाराकोट	चम्पावत
9.	अल्मोड़ा	सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण	चौखुटिया, द्वाराहाट, ताड़ीखेत	लमगड़ा, धौलादेवी, ताकुला, भैसियाछाना, हवालबाग
10.	देहरादून	चकराता, कालसी	विकासनगर, सहसपुर	रायपुर, डोईवाला
11.	नैनीताल	ओखलकाण्डा, धारी, रामगढ़	रामनगर, कोटाबाग, बेतालघाट	भीमताल, हल्द्वानी
12.	पौड़ी गढ़वाल	नैनीडांडा, वीरौंखाल, रिखणीखाल, पोखड़ा, थलीसैंण	दुगड्डा, यमकेश्वर, द्वारीखाल, एकेश्वर, जयहरीखाल	पौड़ी, पावौं, कोट, खिर्सू, कल्जीखाल

ह0.

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।